भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 78

21.07.2025 को उत्तर के लिए

पर्यटन स्थलों में अपशिष्ट प्रबंधन

78. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लद्दाख क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के होते हुए भी, पर्यटन स्थलों पर कचरे और प्लास्टिक कचरे के अनुचित निपटान का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र की भंगुर पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों पर कचरे और प्लास्टिक कचरे के अनुचित निपटान को रोकने और इस कचरे का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का पर्यटन स्थलों पर कूड़ा फैलाने वाले ऐसे पर्यटकों/व्यक्तियों पर कठोर दंड या अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, लद्दाख में ठोस अपशिष्ट उत्पादन और शोधन/प्रसंस्करण की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	ठोस अपशिष्ट उत्पादन (टीपीडी)	ठोस अपशिष्ट शोधन (टीपीडी)
2022-2023	11.845	11.845
2023-2024	12.454	12.454

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी नीचे दी गई है :

ग्रामीण क्षेत्र में:

i) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के सभी 31 ब्लॉकों में 31 ठोस संसाधन प्रबंधन केंद्र (एसआरएमसी) स्थापित किए गए हैं, साथ ही एक अतिरिक्त प्रमुख पर्यटन स्थल एसआरएमसी सोध ब्लॉक (आर्यन घाटी) स्थापित किया गया है।

ii) गाँवों से ठोस अपशिष्ट पिकअप, ट्रकों द्वारा एकत्र किया जाता है और एसआरएमसी तक पहुँचाया जाता है जहाँ अपशिष्ट को अलग किया जाता है और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री कबाड़ खरीदने वालों को बेची जाती है।

iii) स्वच्छ भारत मिशन के तहत, अन्य विभागों के सहयोग से और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। टैक्सी चालकों, सैन्य कर्मियों और आम जनता के बीच उचित अपशिष्ट निपटान के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है।

iv) प्रत्येक गाँव की दुकानों, होटलों, होमस्टे में कूड़ेदान हैं।

शहरी क्षेत्र में :

i) लद्दाख अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम-2020 के अंतर्गत एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध का सक्रिय प्रवर्तन किया जा रहा है।

ii) अपशिष्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल घटकों में अलग-अलग करने को बढ़ावा दिया जा रहा है और ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए वाहन तैनात किए गए हैं।

iii) एकत्रित अपशिष्ट को छांटने और पुनर्चक्रित करने के लिए लेह और कारगिल में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (एमआरएफ) स्थापित की गई हैं।

iv) नैतिक रूप से उत्तरदायी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए "ज़ीरो वेस्ट लद्दाख" और "अपना इस्तेमाल किया हुआ सामान साथ ले जाएं" जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

v) गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समूहों के सहयोग से नियमित सफाई अभियान और आदतों में बदलाव के लिए जागरूकता हेतु संचार अभियान चलाए जा रहे हैं।

vi) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कुछ क्षेत्रों में प्लास्टिक बाय बैक स्कीम के तहत प्लास्टिक की बोतलों और पैकिंग को वापस करने के लिए बढावा दे रहा है।

vii) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख विशेष रूप से बाज़ारों और पर्यटन केंद्रों में सफाई और अपशिष्ट संग्रहण का कार्य करता है।

(ग) से (ङ): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 20 में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मानदंड और कार्रवाई निर्धारित की गई है। नियमों के अनुसार, स्थानीय निकाय उप-नियम बनाकर नागरिकों को सड़कों पर अपशिष्ट फेंकने से रोकेंगे और पर्यटकों को सख्त निर्देश देंगे कि वे कागज़, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें, शीतल पेय के डिब्बे, टेट्रा पैक, अन्य प्लास्टिक या कागज़ जैसे कचरे को सड़कों पर या पहाड़ियों पर न फेंकें, बल्कि ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय निकायों द्वारा सभी पर्यटन स्थलों पर रखे गए कूड़ेदानों में डालें। इसके अलावा, स्थानीय निकाय उप-नियमों के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों की जानकारी पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले सभी पर्यटकों को शहर के प्रवेश द्वार पर, होटलों, गेस्ट

हाउसों आदि के माध्यम से, जहाँ वे ठहरते हैं, और पर्यटन स्थलों पर उपयुक्त होर्डिंग लगाकर देंगे। नियमों के तहत, स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को दीर्घकालिक बनाने के लिए शहर के प्रवेश द्वार पर पर्यटकों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क वसूल सकते हैं।

पर्यटन स्थलों और उनके आसपास स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए और जागरूकता बढ़ाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के नोडल के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग के समन्वय से "स्वच्छता कार्य योजना" (एसएपी) तैयार की गई है।

एसएपी के तहत, पर्यटन मंत्रालय प्रतीकात्मक सफाई अभियान सहित स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाता है तथा भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), केंद्र सरकार से संबद्ध होटल प्रबंधन संस्थान, राज्य सरकार से संबद्ध होटल प्रबंधन संस्थान और देश भर में खाद्य शिल्प संस्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ने से रोकता है।

i. पर्यटक जागरूकता
ii. छात्र जागरूकता
iii. हितधारक जागरूकता

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा के तहत पूरे देश में विभिन्न स्वच्छता कार्यविधियाँ आयोजित करता है।

संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का प्रशासन मौजूदा नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है और कूड़ा फैलाने वालों पर 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी)-लेह ने संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से "मिशन सिंधु स्वच्छता" शुरू किया है।

****